न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 75/2018 दायर दिनाँक 16.03.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. पंचायत धोबीयान सेवा संस्था, डीडवाना, जरिये अध्यक्ष व सचिव पंचायत धोबीयान सेवा संस्था—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान. 2. हर आम व खास, पंचायत धोबीयान डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री विकास सिंवाल व श्री मोहम्मद रफीक, वकुलाय, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 21.12.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, सरहद डीडवाना में वर्तमान खेत खसरा नम्बर 2935 रकबा 13.10 बीघा भूमि अवस्थित है जो पंचायत धोबीयान जैरइन्तजाम बेली वल्द जेठू, इदु वल्द मौलाबगस कौम धोबी साकीन डीडवाना की खातेदारी में वक्त सैटलमेन्ट से रही है। नकल जमाबन्दी व पर्चा लगान की नकलें पेश है।

पंचायत धोबीयान कस्बा डीडवाना के मुस्लिम धोबी जाति की पुरातन संस्था रही है। डीडवाना में मुस्लिम धोबी जिन्हें रंगरेज भी कहा जाता है, की संख्या असीमित है जिससे सभी को वाद में पक्षकार बनाया जाना सम्भव नहीं है। अतः दावा हर आम व खास पंचायत धोबीयान डीडवाना के विरूद्ध पेश है।

2

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

पुरातन पंचायत संस्थान धोबीयान अब एक रजिस्टर्ड संस्था पंचायत धोबीयान सेवा संस्था डीडवाना है। पुरातन पंचायत धोबीयान की संस्था डीडवाना के आधिपत्य में हैं जिसकी समस्त प्रकार से सार सम्भाल देखरेख निर्माण जीर्णोद्धार आदि यंह पंजीकृत संस्था करती–कराती आर रही है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र की छाया प्रति दावा के साथ पेश है। तत्काली खातेदार का वर्षों पूर्व देहान्त हो चुका है। खातेदारी इन्द्राज दुरस्त करवाया जाना आवश्यक है जिससे कि कोई विवाद उत्पन्न न हो।

यद्यपि वादग्रस्त भूमि सरहद डीडवाना खसरा नम्बर 2935 रकबा 13.10 बीघा भूमि पंजीकृत संस्था पंचायत धोबीयान सेवा संस्था डीडवाना के अधिकार में है मगर इसकी खातेदारी वरवक्त सैटलमेन्ट से ही जैर इन्तजाम बेली पुत्र जेठू व इदु वल्द मौलाबगस धोबी साकिन डीडवाना के नाम से चली आ रही है जिनका वर्षों पूर्व देहान्त हो चुका है। भविष्य में इनके वारिसान् इस आराजी में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न करे और न करावे इस हेतु वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है।

बिनाय दावा पुरातन संस्था पंचायत धोबीयान का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत दिनाँक 05.05.2016 को रजिस्ट्रीकरण करवाकर प्रमाण–पत्र क्रमांक 287/नागौर/2016–2017 प्राप्त करने व खातेदारी इन्द्राजात् में इस संस्था की सम्पत्ति उक्त खेत की खातेदारी में मृतक खातेदारान् के नाम होने की जानकारी नकल खतौनी प्राप्त करने पर होने से अन्दर अदूद अदालत हाजा पैदा हुई।

प्रार्थना वादी है कि,

सरहद डीडवाना में खसरा नम्बर 2935 रकबा 13.10 बीघा खातेदारी वर्तमान में पंचायत धोबीयान डीडवाना बइन्तजाम बेली पुत्र जेठू,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

इदु पुत्र मौलाबगस कौम धोबी साकिन डीडवाना के नाम से अंकित है, को दुरस्त करते हुए खातेदारी पंजीकृत संस्था– पंचायत धोबीयान सेवा संस्था डीडवाना जरिये अध्यक्ष व सचिव पंचायत धोबीयान सेवा संस्था डीडवाना के नाम घोषित की जावे। वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गयी।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम डीडवाना सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 432/392 खसरा नम्बर 2935 की सत्य प्रतिलिपि, नक्शा किस्तवार मौजा डीडवाना की आंशिक नकल की सत्यप्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम डीडवाना सम्वत् 2030–2033 की प्रमाणित नकल, पेश की है।

विद्वान वकील वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी। शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. के सिकन्दअली, मो0 रफीक, मो0 फारूक, शोकतअली, हाजी अनानूर, मो0 युसुफ, मो0 फारूक, जाकीर हुसैन, नियाज मो0, कादिम अली, युसुफअली, मो0 शरीफ, बुन्दुअजी के पेश हुए। वकील वादी दावा माफिक, दावा डिक्री करवाने का निवेदन कर रहे है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। बहस के दौरान साक्ष्य वादी में पेश शपथ–पत्रों के अवलोकन से वादी का वाद पुष्ट होता है। तर्क वकील वादी पर मनने करने तथा रिकॉर्ड का

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

अवलोकन करने तथा शपथ–पत्रों का अवलोकन करने के बाद वाद वादी स्वीकार किया जाना अज अदालत को जायज प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डीडवाना में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2935 रकबा 13.10 बीघा भूमि की खातेदारी पंचायत धोबीयान सेवा संस्था, डीडवाना के हक में घोषित की जाती है तथा वर्तमान में पंचायत धोबीयान बेली पुत्र जेठू, इदु पुत्र मोलाबगस कौम धोबी सा. डीडवाना के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.12.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **75/2018** दायर दिनाँक **16.03.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. पंचायत धोबीयान सेवा संस्था, डीडवाना, जरिये अध्यक्ष व सचिव पंचायत धोबीयान सेवा संस्था–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. हर आम व खास, पंचायत धोबीयान डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **21.12.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विकास सिंवाल व श्री मोहम्मद रफीक, वकुलाय, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद डीडवाना में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2935 रकबा 13.10 बीघा भूमि की खातेदारी पंचायत धोबीयान सेवा संस्था, डीडवाना के हक में घोषित की जाती है तथा वर्तमान में पंचायत धोबीयान बेली पुत्र जेठू, इदु पुत्र मोलाबगस कौम धोबी सा. डीडवाना के नाम दर्ज खातेदारी को हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत...... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.12.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner